1— पुनः निरीक्षण

प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र यदि किसी निरीक्षण के समय प्रमाणीकरण के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर बीज उत्पादक निर्धारित शुल्क के साथ निरीक्षण के एक सप्ताह के अंदर आवेदन देकर पुनः निरीक्षण करा सकता है। ऐसे निरीक्षण एक या एक से अधिक किए जा सकते है। पुनः निरीक्षण की अनुमति बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा दी जा सकेगी। पुनः निरीक्षण की अनुमति केवल उन्ही स्थितियों में दी जावेगी जिनके सुधारने पर बीज की गुणवत्ता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

2— कटाई,गहाई एवं ढुलाई

उच्च–कोटि के बीज तैयार करने के उद्देश्य से किया गया संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ जाएगा यदि बीज में कटाई,गहाई या ढुलाई के समय किसी तरह का मिश्रण हो जाए। बीज प्रमाणीकरण संस्था के लिए न तो यह संभव है और न व्यवहारिक दृष्टि से उचित है कि उसका प्रतिनिधि प्रत्येक कार्य की देखभाल करें। यह कार्य मुख्य रूप से बीज उत्पादक कृषक एवं बीज उत्पादक संस्था की जिम्मेदारी तथा ईमानदारी पर निर्भर है। अतएवं संबंधित बीज उत्पादक/बीज उत्पादक संस्था यह अनिवार्यत : सुनिश्चित करें कि मानक स्तरीय पाये गये बीज उत्पादन प्रक्षेत्र का उत्पादन ही बिना किसी मिश्रण के, संबंधित बीज प्रक्रिया केन्द्र तक पहुॅचाया जावे।

2.1 जहां संकरण प्रक्रिया से नर एवं मादा जनक पौधों की पंक्तियां लगाई गई हों, उनमें निरीक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नर जाति की पंक्तियां पहले काटकर अलग कर ली गई हों तथा उनका बीज अलग रख दिया गया गया हो। ताकि मुख्य बीज फसल में मिलने की संभावना न रहे। इस कार्य का पर्यवेक्षण संस्था के अधिकृत निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

2.2 इसी तरह यह भी निश्चित कर लिया जाए कि उन खेतों का ,जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से निरस्त कर दिये गये है का उत्पादन प्रमाणीकरण के योग्य उत्पादन के साथ न मिल जाए।

2.3 यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रक्रिया केन्द्रों पर उन्हीं प्रक्षेत्रों का बीज लाया जावें जिन्हें प्रमाणीकरण के योग्य माना गया है। प्रक्रिया केन्द्र पर भेजे जाने वाले बीज के साथ बीज मात्रा की पुष्टि हेतु अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित बीज उत्पादक द्वारा अनिवार्य रूप से लाया जावे।

2.4 बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी बीज प्रक्रिया के कार्यो का सतत् निरीक्षण कर सकेंगें।

2.5 उत्पादक संस्था/बीज प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी द्वारा बीज उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से उपार्जन की अंतिम तिथि (परिशिष्ट–प्ट अनुसार) तक पाक्षिक निम्न प्रपत्र में जानकारी संस्था के संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायी जावेगी–

पंजी. क्रं.	कृषक का नाम	पता	फसल	किस्म	श्रेणी	प्राप्त उत्पादन	प्राप्ति दिनांक	प्रक्रिया प्रभारी के हस्ता0

2-5-1 vlalkf/kr cht dk vfxze lalk/ku dk;ZØe laLFkk ds lacf/kr lgk- cht izek- vf/kdkjh }kjk lacaf/kr cht izfØ;k dsUnz izHkkjh ls lEkUo; dj cuk;k tkosxkA bl izdkj la;qDr gLrk{kfjr dk;ZØe dk ijh{k.k laHkkxh; dk;kZy; }kjk fd;k tkdj vuqeksnu tkjh fd;k tkosxkA rnuqlkj cht izfØ;k dk;Z lacaf/kr mRiknd laLFkk }kjk fd;k tkosxkA

2.6 पर्यवेक्षकीय निरीक्षणः–

संभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो के साथ–साथ बीज प्रमाणीकरण अधिकारी विशेष फसल निरीक्षण का कार्य करेंगें। विशेष निरीक्षण कार्य संभाग के सभी जिलों एवं सभी अधीनस्थ निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के क्षेत्र का किया जायेगा, किन्तु न्यूनतम क्षेत्र निम्नानुसार होगा–

क्र	पंजीकृत क्षेत्रफल	विशेष निरीक्षण का क्षेत्र

.

1	1000 हे. से 2000 हे. तक	न्यूनतम 300 हे.
2	2000 हे. से 4000 हे. तक	न्यूनतम 350 हे.
3	4000 हे. से अधिक	न्यूनतम 400 हे.

2.7 संभाग में पदस्थ उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी अपने कार्य के साथ–साथ विशेष फसल निरीक्षण का कार्य भी बीज प्रमाणीकरण अधिकारी की अनुमति से करेंगें। इसके अतिरिक्त आवंटित जिले के अन्तर्गत प्रत्येक बीज प्रक्रिया केन्द्र पर 5–7 बीज लॉटस की सेम्पलिंग अपने समक्ष करावेगें।

2.8 कटाई एवं गहाई के बाद उत्पादक बीज को अच्छी तरह सुखा कर साफ सुथरें थैलों में सुरक्षित स्थान पर रखे। मक्का के बीज उत्पादन में गहाई से पूर्व अवांछित भुटटों को छॉटना तथा अलग करना आवश्यक है। संबंघित निरीक्षण अधिकारी इस विषय पर विशेष निर्देश बीज उत्पादकों को देंगें तथा गहाई से पूर्व भुट्टों की छंटनी का निरीक्षण करेंगें एवं निर्धारित स्तर के अनुरूप होने पर गहाई की स्वीकृति देंगे। जिन बीज प्रक्रिया केन्द्रों पर भुट्टों को सुखाने तथा दाने निकालने की सुविधा है वहां यह कार्य संबंधित निरीक्षण अधिकारी की देखरेख में बीज प्रक्रिया केन्द्र पर किया जाएगा।

2.9 अ–एक संभाग से दूसरे संभाग में असंसाधित बीज स्थानांतरण के आवेदन, उत्पादक संस्था द्वारा पंजीकृत कृषक, पंजीकृत प्रमाणित क्षेत्र, अनुमानित उपज एवं स्थानांतरण हेतु उपार्जित मात्रा के साथ तिथिवार कार्यक्रम आवश्यक शुल्क सहित संभागीय कार्यालय के माध्यम से प्रधान कार्यालय भेजे जावेगे। इन आवेदनो पर प्रबंध संचालक द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादक कृषक के भण्डारण स्थल/खलिहान पर बीज लाट्स को मोहरबंद (सील से) कर स्थानांतरण की अनुमति दी जावेगी।

इस प्रकार कृषक के भण्डारण स्थल/खलिहान में संबंधित सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा सील से प्रत्येक लॉट को सभी बोरों को मोहरबंद किया जावेगा। बोरों पर लॉट की पहचान जैसे फसल, किस्म, श्रेणी, लॉट नम्बर लिखा जावेगा। साथ ही प्रत्येक बीज लॉट के लिए पूर्ण विवरण सहित जैसेः कृषक का नाम, ग्राम, जिला, पंजीकृत व प्रमाणित क्षेत्र, अनुमानित उत्पादन एवं मानक अनुरूप बीज प्लाट से

प्राप्त वास्तविक उत्पादन की मोहरबंद मात्रा का उल्लेख कर उत्पादक कृषक से हस्ताक्षर कराने के बाद उक्त पत्रक पर सम्बन्धित निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे।

इस तरह मोहरबंद किये गये बीज के स्थानान्तरित होकर दूसरे संभाग के संबधित बीज प्रक्रिया केन्द्र पर पहुॅचने पर प्रत्येक स्थानान्तरित बीज लॉट के प्रत्येक बोरे की सील की एवं उस लाट हेतु जारी मोहरबंद प्रमाण पत्र एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की जॉच की जाकर संतुष्ट होने पर ही बीज प्रक्रिया कार्यक्रम बनाने की अनुमति दी जावेगी। यदि किसी बीज लॉट में सील नहीं लगी पायी जावेगी तो एसे बीज लॉट को तुरन्त निरस्त कर इसकी सूचना दोनों संभागों की बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों को दी जावेगी।

ब–संभाग के अन्तर्गत एक जिले से दूसरे जिले में असंसाधित बीज स्थानांतरण के आवेदन, उत्पादक संस्था द्वारा पंजीकृत कृषक का पंजीकृत एवं प्रमाणित क्षेत्र, अनुमानित उपज एवं स्थानांतरण हेतु उपार्जित मात्रा की जानकारी के साथ तिथिवार कार्यक्रम संबंधित सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के माध्यम से संभागीय कार्यालय को भेजे जायेंगे। प्राप्त आवेदनों पर बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादक कृषक के भण्डारण स्थल/खलिहान पर असंसाधित बीज लाट्स को मोहरबंद (लेड सील से) कर स्थानांतरण करने की अनुमति दी जावेगी।

इस प्रकार कृषक के भण्डारण स्थल/खलिहान में संबंधित सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा लेड सील से प्रत्येक लॉट को सभी बोरों को मोहरबंद किया जावेगा। बोरों पर लॉट की पहचान जैसे फसल, किस्म, श्रेणी, लॉट नम्बर लिखा जावेगा। साथ ही प्रत्येक बीज लॉट के लिए पूर्ण विवरण सहित जैसेः कृषक का नाम, ग्राम, जिला, पंजीकृत व प्रमाणित क्षेत्र, अनुमानित उत्पादन एवं मानक अनुरूप बीज प्लाट प्राप्त से वास्तविक उत्पादन की मोहरबंद मात्रा का उल्लेख कर उत्पादक कृषक एवं बीज उत्पादक संस्था प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराने के बाद सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे।

इस तरह मोहरबंद किये गये बीज के स्थानान्तरित होकर संबधित बीज प्रक्रिया केन्द्र पर पहुॅचने पर प्रत्येक स्थानान्तरित बीज लॉट के प्रत्येक बोरे की लेड सील की एवं उस लाट हेतु जारी मोहरबंद प्रमाण पत्र की जॉच की जाकर संतुष्ट होने पर ही बीज प्रक्रिया कार्य हेतु नियमानुसार

आगामी कार्यवाही की जावेगी। यदि किसी बीज लॉट में लेड सील नहीं लगी पायी जावेगी तो ऐसे बीज लॉट को तुरन्त निरस्त कर इसकी सूचना स्थानांतरित किये गये प्रक्रिया केन्द्र पर पदस्थ सहा. बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा समस्त संबंधितो को दी जावेगी।

2.10— यह भी सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि उन्हीं फसलो का उत्पादन जो प्रक्षेत्र निरीक्षण के स्तर पर प्रमाणीकरण योग्य मानी गई है, बीज प्रक्रिया हेतु भेजा जावे। इस हेतु व्यवस्था अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा भविष्य में निर्धारित नीति निर्देश अनुसार उक्त की पुष्टि हेतु क्षेत्रीय अधिकृत शासकीय अधिकारीओं/कर्मचारियों /अन्य नामांकितो (जैसे व.कृ.वि.अधि., ग्रा.कृ.वि.अधि., पटवारी, राजस्व निरीक्षक आदि) द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र (लेबल) के साथ ही उत्पादित बीज मात्रा मोहरबंद की जा सकेगी। प्रक्रिया केन्द्र पर संबंधित सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा संबंधित जानकारी अभिलेखित की जावेगी।